राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री पंकज बड़गुर्जर (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या	तारीख रजू :	निर्णय दिनांक
69 / 2020	17.03.2020	5.2.2024

उनवान:

1. रामनिवास पुत्र श्रीराम जाति अहीर
2. सुरेश पुत्र श्री सुलतान जाति अहीर
3. महीपाल पुत्र श्री कृष्ण पुत्र सुलतान जाति अहीर
4. विरेन्द्र पुत्र श्री सुलतान जाति अहीर
5. विक्की पुत्री श्री सुलतान जाति अहीर
6. श्रीमती रामप्यारी पत्नी स्व0 सुलतान जाति अहीर
7. राजेश पुत्री श्री सुलतान जाति अहीर सभी निवासी ग्राम नावद तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरि0। .....वादीगण

बनाम

1. सज्जनसिंह पुत्र दौलतराम पुत्र श्रीराम जाति अहीर
2. बिरेन्द्र पुत्र दौलतराम पुत्र श्रीराम जाति अहीर
3. राजेन्द्र पुत्र श्री दौलतराम पुत्र श्रीराम जाति अहीर सभी निवासी ग्राम नावद तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरि0।
4. उप पंजीयक मांढण तह. मांढण
5. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर मांढण तह0 मांढण

.......प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक,दुरुस्ती इन्द्राजात एवं हुक्म ईन्तनाई दवामी

उपस्थिति :– श्री मकरध्वज शर्मा योग्य अधिवक्ता वादीगण की ओर से
श्री राकेश कुमार यादव योग्य अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 की ओर से

।। निर्णय ।।

वादीगण द्वारा न्यायालय मे राजस्व वाद बाबत इस्तकरार हक,दुरुस्ती इन्द्राजात एवं हुक्म ईन्तनाई दवामी का इस आशय का पेश किया गया कि खसरा नम्बर 1425 रकबा 0.72 है0 वाके ग्राम खुन्दरोठ तह0 मांढण मे स्थित है जिसके संवत 2042 से पुर्व के खसरा नम्बर 1064 रकवा 2 बीघा 13 बिस्वा थे । साबिक खसरा नम्बर 1064 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा को वादी सं0 1 व वादी सं0 2 लगा0 7 के पति पिता सुलतान व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 का पिता दौलतराम अर्थात तीनो भाई दौलतराम रामनिवास सुलतान पि0 श्रीराम ने दिनांक 15.06.1975 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा के श्री सुरजभान उर्फ सुरजसिंह पि. हिम्मतसिंह राजपूत निवासी खुन्दरोठ से मौके पर कब्जा लेकर व बेचान की चुकता रकम अदा कर समभाग के रूप मे खरीद किया था तथा बाद मे प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 के पिता द्वारा आराजी मुतनाजा मे अपने 1/3 हिस्से का बेचान जरिये बयनामा दिनांक 09.061978 को बिहारी पुत्र बोदन अहीर निवासी नावदी हरि0 को कर दिया गया था। इसलिए उक्त आराजी मे प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 के पिता का कोई हिस्सा शेष नही रहा था। लेकिन संवत 2042 मे बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियो द्वारा बिना पुछताछ किये ही गलती व लापरवाही से उक्त आराजी मिसल जमाबन्दी मे दोलतराम रामनिवास सुलतान पि. श्रीराम बिहारी वल्द बोदन अहीर सा0 नावदी तह0 नारनौल 1/3 खातेदार दर्ज कर दिये गये जबकि उक्त आराजी के 2/3हिस्सा रामनिवास सुलतान पि. श्रीराम के नाम से व 1/3 हिस्सा बिहारी पुत्र बोदन के नाम दर्ज करना चाहिऐ था। बन्दोबस्त विभाग द्वारा की गई गलती राजस्व रिकार्ड मे रिपीट होती रही और संवत 2057 मे जब कम्प्यूटराज जमाबन्दी तैयार की गई उसमे राजस्व कर्मचारियो ने

अधिकारी
कोटपूतली–बहरोड

गलती व लापरवाही से दोलतराम रामनिवास सुलान पि0 सुलतान दर्ज कर दिया गया शेष इन्द्राज पुर्व की जमाबन्दी के मुताबिक रिपीट कर दिया । हम वादीगण को उक्त गलत इन्द्राजात की जानकारी उस समय हुई जब वादी सं0 1 आराजी मुतनाजा मे अपने हिस्से पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए जमाबन्दी की नकल ली तब हुई। उक्त गलती की जानकारी होने पर हम वादीगण ने आराजी मुतनाजा का हाल व साबिक रिकार्ड की नकले लेकर, व गलत इन्द्राजात की जानकारी प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 को देकर रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण ने गलत रिकार्ड को दुरूस्त करवाने से साफ इंकार कर दियां। इसलिए आराजी मुतनाजा के राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाकर, आराजी मुतनाजा के हाल रिकार्ड मे प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 के पिता के नाम से दर्ज गलत खातेदारी को कलमजन किया जाकर आराजी मुतनाजा के 1/3 हिस्से का खातेदार वादी सं0 1 को व 1/3 हिस्से का खातेदार वादी सं0 2 को तथा रिकार्ड मे वादी सं0 1 को रामनिवास पुत्र सुलतान दर्ज किया हुआ है उसे दुरूस्त किया जाकर उसके स्थान पर रामनिवास पुत्र श्रीराम दर्ज किया जावे तथा जहां पर सुलतान पुत्र सुलतान दर्ज किया हुआ हैउसे दुरूस्त किया जाकर उसके स्थान पर वादी सं0 2 लगा. 7 को समभाग खातेदार दर्ज किये की घोषणा फरमाई जावे एवं प्रतिवादीगण को हुक्म ईम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जावे आदि

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मत तलब किये गये। वाद तामिल प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 की ओर से श्री राकेश कुमार यादव एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया गया तथा प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 ने वादीगण के वाद पत्र को सही मानते हुऐ जवाव दावा पेश किया गया ।

वादीगण द्वारा अपने दावा के समर्थन मे दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे प्रदर्श सं0 1 से 11 पेश किये गये तथा मौखिक साक्ष्य के रूप मे पी.ड.–1 रामनिवास वादी का बयान शपथ पत्र पेश किया गया।

वकील वादीगण की वहस सुनी गई। वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यो को दौहराते हुऐ तर्क दिये कि आराजी मुतनाजा मे प्रतिवादी सं0 1 लगा. 3 के पिता ने अपने हिस्से की आराजी का जरिये रजि0 वयनामा के बिहारी पुत्र बोदन को बेचान कर दिया था। जो हिस्सा विहारी पुत्र वोदन के नाम से दर्ज हो गया और बिहारी की मृत्यु के बाद उनके वारिसान के नाम से 1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है लेकिन बन्दोबस्त संवत 2042 मे बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियो ने गलती व लापरवाही से हम वादीगण के साथ प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 के पिता का नाम भी जोड दिया गया और संवत 2057 की जमाबन्दी मे राजस्व कर्मचारियो द्वारा गरिकार्ड मे वादीगण के पिता का नाम श्रीराम के स्थान पर सुलतान गलत दर्ज कर दिया गया। जो गलत रिकार्ड रिपीट होता चला आ रहा है। आराजी मुतनाजा मे प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 के पिता के नाम से खातेदारी गलत दर्ज होने के तथ्य अपने जवाव दावा मे स्वीकार किया गया है। इसलिए वादीगण का वाद पत्रावली मे पेश दस्तावेजात एवं प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 द्वारा पेश जबाब दावा से पूर्ण रूप से साबित है। इसलिए वादीगण का वाद डिक्री किया जावे।

वकील प्रतिवादीगण ने वकील वादीगण की बहस का समर्थन करते हुऐ दावा डिक्री किया जाने मे कोई आपत्ति नही होना जाहीर किया गया ।

हमने वकील वादीगण की बहस पर गहनता से मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात प्रदर्श सं0 1 लगा0 11 का ध्यान पुर्वक अवलोकन किया गया तथा प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 द्वारा पेश जवाव दावा का अध्ययन किया गया। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यो के आधार पर वादी का वाद साबित होने के कारण डिक्री होने योग्य है।

अधिकारी
पूतली-बहरोड)

।। आदेश ।।

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि खसरा नम्बर हाल 1425 रकवा 0.72 है0 वाके ग्राम खून्दरोठ तह0 मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड के

हाल रिकार्ड मे दौलतसिंह पुत्र सुलतान, रामनिवास पुत्र सुलतान, सुलतान पुत्र सुलतान के इन्द्राज को कलमजन किया जाता है तथा उक्त खसरा नम्बर के वादी सं0 1 को हिस्सा–1/3 का व वादीसं0 2 लगा0 7 प्रत्येक को हिस्सा–1/18 के खातेदार घोषित किया जाता है शेष खातेदारी इन्द्राज बदस्तूर रहेगा तथा इसी अनुसार हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे इन्द्राज करने का आदेश दिया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 5.2.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पंकज बड़गूजर
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,नीमराना
(कोटपूतली–बहरोड) राज0

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड)

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली—बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री पंकज बड़गुर्जर (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या	तारीख रजू :	निर्णय दिनांक
69 / 2020	17.03.2020	5.2.2024

उनवानः

1. रामनिवास पुत्र श्रीराम जाति अहीर
2. सुरेश पुत्र श्री सुलतान जाति अहीर
3. महीपाल पुत्र श्री कृष्ण पुत्र सुलतान जाति अहीर
4. विरेन्द्र पुत्र श्री सुलतान जाति अहीर
5. विक्की पुत्री श्री सुलतान जाति अहीर
6. श्रीमती रामप्यारी पत्नी स्व0 सुलतान जाति अहीर
7. राजेश पुत्री श्री सुलतान जाति अहीर सभी निवासी ग्राम नावद तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरि0।

.....वादीगण

बनाम

1. सज्जनसिंह पुत्र दौलतराम पुत्र श्रीराम जाति अहीर
2. बिरेन्द्र पुत्र दौलतराम पुत्र श्रीराम जाति अहीर
3. राजेन्द्र पुत्र श्री दौलतराम पुत्र श्रीराम जाति अहीर सभी निवासी ग्राम नावद तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरि0।
4. उप पंजीयक मांढण तह. मांढण
5. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर मांढण तह0 मांढण

.......प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक,दुरूस्ती इन्द्राजात एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

उपस्थिति :— श्री मकरध्वज शर्मा योग्य अधिवक्ता वादीगण की ओर से
श्री राकेश कुमार यादव योग्य अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 की ओर से

।। आदेश ।।

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि खसरा नम्बर हाल 1425 रकबा 0.72 है0 वाके ग्राम खून्दरोठ तह0 मांढण जिला कोटपूतली—बहरोड के हाल रिकार्ड मे दौलतसिंह पुत्र सुलतान, रामनिवास पुत्र सुलतान, सुलतान पुत्र सुलतान के इन्द्राज को कलमजन किया जाता है तथा उक्त खसरा नम्बर के वादी सं0 1 को हिस्सा—1 / 3 का व वादीसं0 2 लगा0 7 प्रत्येक को हिस्सा—1 / 18 के खातेदार घोषित किया जाता है शेष खातेदारी इन्द्राज बदस्तूर रहेगा तथा इसी अनुसार हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे इन्द्राज करने का आदेश दिया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 5.2.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

पंकज बडगूजर
उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस.)
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड)
उपखण्ड अधिकारी,नीमराना
(कोटपूतली—बहरोड) राज0